



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(1)कार्मिक/क-1/ 2026

जयपुर, दिनांक : 21-08-2026

आज्ञा

निम्नांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

| क्रसं | अधिकारी का नाम                     | वर्तमान पद                                            | नवीन पद                                                                                              |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी<br>(2010) | संभागीय आयुक्त, उदयपुर                                | आयुक्त, टी.ए.डी., उदयपुर एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर                                          |
| 2     | श्री एच. गुईटे<br>(2011)           | पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में                       | विशेषाधिकारी, सेण्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, एच.सी.एम रीपा जयपुर                                          |
| 3     | श्री अविचल चतुर्वेदी<br>(2012)     | पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में                       | आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर |
| 4     | श्री खजान सिंह<br>(2013)           | पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में                       | संभागीय आयुक्त, उदयपुर                                                                               |
| 5     | श्री सोहन लाल<br>(2020)            | अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (करापवंचन) विभाग, जयपुर | संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर                                                       |
| 6     | श्री दिव्यांश सिंह<br>(2022)       | उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर          | संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर                                                     |

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(डॉ. धीरज कुमार सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 अनुसंधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्तव्य भवन - 3, नई दिल्ली।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हें भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्तव्य भवन - 3, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।

  
संयुक्त शासन सचिव